



कार्यालय प्राचार्य, नवीन शासकीय महाविद्यालय, जालबांधा, जिला-के.सी.जी.

Email : govt.jalbandhacollege@gmail.com

Mob. No. – 9926170704

www.govtcollegejalbandha.ac.in

क्रमांक-74 / अतिथि व्याख्याता / 2025-26

जालबांधा, दिनांक – 26 / 07 / 2025

अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक के पदों के लिये आवेदन

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय के पत्र क्रमांक 289 / 01 / आउशि / राज.स्था. / 2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23.07.2025 के आदेशानुसार अतिथि व्याख्याता नीति-2024 के अंतर्गत नवीन शासकीय महाविद्यालय, जालबांधा, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (छ.ग.), के रिक्त सहायक प्राध्यापक / ग्रन्थपाल / क्रीड़ा-अधिकारी पदों के विरुद्ध अध्यापन / गैर-अध्यापन कार्य हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता / शिक्षण सहायक / अतिथि ग्रन्थपाल / अतिथि क्रीड़ा-अधिकारी पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण-पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 05.08.2025 को सायं 05.00 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते प्रस्तुत कर कार्यालय से पावती प्राप्त कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। सम्पूर्ण योग्यता तथा चयन प्रक्रिया "अतिथि व्याख्याता नीति-2024" के परिपालन में किया जाएगा। रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार हैं-

रिक्त पद एवं संख्या			
क्रं.	विषय	सहायक प्राध्यापक / ग्रन्थपाल / क्रीड़ा-अधिकारी	रिमार्क
1	वनस्पतिशास्त्र	1	
2	भौतिकशास्त्र	1	
3	गणित	1	
4	प्राणीशास्त्र	1	पूर्व में कार्यरत अतिथि व्याख्याता द्वारा ज्वाइनिंग से मना करने के कारण रिक्त पद के विरुद्ध
5	ग्रन्थपाल	1	
6	क्रीड़ा-अधिकारी	1	

नोट :-विस्तृत विज्ञापन महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाईट (www.govtcollegejalbandha.ac.in) में अपलोड किया गया है। जिससे विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(डॉ. ओमप्रकाश गुप्ता)

प्राचार्य

नवीन शासकीय महाविद्यालय, जालबांधा,
जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (छ.ग.)।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता—

1. अतिथि व्याख्याता/ शिक्षण सहायक/ अतिथि ग्रन्थपाल/ अतिथि क्रीड़ा-अधिकारी पद को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एक दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
2. आयु सीमा :- अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक। अतिथि ग्रंथपाल/ अतिथि क्रीड़ा अधिकारी एवं अतिथि ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक अधिकतम 62 वर्ष तक।
3. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

शर्तें :-

1. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण-पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम. फिल/पी-एच. डी. एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
2. दिनांक 05.08.2025 तक कार्यालयीन समय 5.00 बजे तक डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई-मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में आफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में आनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।
3. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
4. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 13.08.2025 को महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट www.govtcollegejalbandha.ac.in पर प्रकाशित किया जावेगा। वेबसाइट में विस्तृत विवरण भी अपलोड किया जायेगा।
5. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 18.08.2025 तक होगी।
6. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 20.08.2025 तक महाविद्यालय की नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट www.govtcollegejalbandha.ac.in में किया जायेगा।
7. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरुद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई हैं।
8. आवेदन उपरान्त संबंधित आमंत्रित/चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है। तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
9. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।
10. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता प्राचार्य, नवीन शासकीय महाविद्यालय, जालबांधा, जिला-खैरागढ़ -छुईखदान-गंडई (छ.ग.), पिन कोड-491444 एवं आवेदित विषय/पद आनिवार्य रूप से लिखें।
11. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक-सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं कहलायेंगे।
12. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।
13. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

14. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा :-

क्रमांक	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
(अ) 40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
1	40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए	400 /-	300 /-
2	चार कालखंडों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600 /- (41,600 /- प्रतिमाह अधिकतम)	1200 /- (30,000 /- प्रतिमाह अधिकतम)
(ब) 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
3	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	500 /-	350 /-
4	चार कालखंडों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000 /- (50,000 /- प्रतिमाह अधिकतम)	1400 /- (35,500 /- प्रतिमाह अधिकतम)
(स) दैनिक मानदेय			
5	विवरण	अतिथि ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी	अतिथि ग्रंथपाल सहायक/अतिथि क्रीड़ा सहायक
	दैनिक मानदेय (प्रति दिवस न्यूनतम 07 घंटा कार्य अवधि)	1600 /- (40,000 /- प्रतिमाह अधिकतम)	1200 /- (30,000 /- प्रतिमाह अधिकतम)

15. कक्षाओं के संचालन के साथ-साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा गतिविधियाँ, युवा-उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।
16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती हैं तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।
17. संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

(डॉ. ओमप्रकाश गुप्ता)
प्राचार्य

नवीन शासकीय महाविद्यालय, जालबांधा,
जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (छ.ग.)

प्रतिलिपि:- पृष्ठा. क्रमांक-74/अतिथि व्याख्याता/2025-26

जालबांधा, दिनांक - 26/07/2025

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग संभाग को सादर सूचनार्थ।
3. प्राचार्य, अग्रणी महाविद्यालय, को सादर सूचनार्थ।

(डॉ. ओमप्रकाश गुप्ता)
प्राचार्य

नवीन शासकीय महाविद्यालय, जालबांधा,
जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (छ.ग.)